

बिहार सरकार  
अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग  
सं०सं०-5/निदे०(प्रवे० छात्र०)-01-10/2021- 323

प्रेषक,

प्रियंका रानी, (भा०प्र०से०),  
निदेशक

सेवा में,

अवर सचिव,  
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी  
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति  
कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 09/03/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में तृतीय अनुपूरक के आगणन से केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्यांश मद में ₹33,00,00,000 (तेतीस करोड़ रू०) मात्र राशि का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अनु० जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-...322 दिनांक-...9-3-2026 द्वारा राज्यांश मद के लिए ₹33,00,00,000 (तेतीस करोड़ रू०) मात्र राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृत्यादेश एवं भारत सरकार के दिशा-निर्देश के आलोक में राशि की निकासी कर SNA खाते में संधारित करने हेतु राज्यांश मद में कुल ₹33,00,00,000 (तेतीस करोड़ रू०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2-वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के O.M. दिनांक-23.03.2021 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में इस आवंटित राशि का व्यय Single Nodal Agency (SNA) एवं Implementing Agency (IA) के बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा।

3-राज्यांश मद के लिए राशि मांग सं०-44 के योजना बजट मुख्य शीर्ष-“2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0319-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति विषय शीर्ष-0319.34.01 छात्रवृत्ति वजीफा- विपत्र कोड सं०-44-2225012770319” पी०एफ० एम०एस० कोड-2063 के तहत विकलनीय होगा।

4-इस योजना के लिए निकासी पदाधिकारी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग तथा व्ययन पदाधिकारी Implementing Agency (IA) के रूप में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राशि की निकासी कर Single Nodal Agency (SNA) के बैंक खाता सं०-40327754529, IFSC-SBIN0000153, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, सिंचाई भवन, पटना में संधारित करेंगे।

5-Implementing Agency (IA) शिक्षा विभाग के व्ययन पदाधिकारी, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय करेंगे तथा व्यय की गई राशि की व्यय विवरणी समय-समय पर अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को भेजेंगे। इस राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक-17.4.98 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे। संकल्प संख्या-3098 दिनांक-20.12.2017 के आलोक में राज्य स्तर पर इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार होंगे।

6-अनु० जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत राशि का व्यय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों एवं


विभागीय संकल्प सं०-4061 दिनांक-16.05.2016, संकल्प संख्या-3098 दिनांक-20.12.2017 एवं संकल्प संख्या-386 दिनांक-15.02.2018 के आलोक में तथा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निदेश के आलोक में किया जायेगा ।

7-अनु० जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति का भुगतान DBT के माध्यम से किया जाएगा। जिला स्तरीय छात्रवृत्ति चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में छात्रवृत्ति वितरण की कार्रवाई की जाएगी।

8-शिक्षा विभाग, छात्रवृत्ति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित समय-सीमा के अन्दर नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को भेजेंगे।


9-इस आवंटन की सूचना सभी संबंधित पदाधिकारी को दी जा रही है।

विश्वासभाजन




निदेशक

ज्ञापांक-5/निदे०(प्रवे० छात्र०)-01-10/2021-323 पटना, दिनांक-09/03/2026  
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



निदेशक

ज्ञापांक-5/निदे०(प्रवे० छात्र०)-01-10/2021-323 पटना, दिनांक-09/03/2026  
प्रतिलिपि-विकास आयुक्त, बिहार/ अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




निदेशक

ज्ञापांक-5/निदे०(प्रवे० छात्र०)-01-10/2021-323 पटना, दिनांक-09/03/2026  
प्रतिलिपि:-सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।




निदेशक

ज्ञापांक-5/निदे०(प्रवे० छात्र०)-01-10/2021-323 पटना, दिनांक-09/03/2026  
प्रतिलिपि:-लेखा शाखा (2 प्रति में)/प्रभारी बजट शाखा/प्रशाखा पदा०-5डी०/आई० टी० मैनेजर/सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



निदेशक

ज्ञापांक-5/निदे०(प्रवे० छात्र०)-01-10/2021-323 पटना, दिनांक-09/03/2026  
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।



निदेशक